

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास विभाग,
31/62, राजपुर रोड, देहरादून।

वित्त अनुभाग-1

::देहरादून:: दिनांक: 18 मार्च, 2021

विषय:-

15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के कम में निर्दिष्ट अनुदान (Tied Grant) के अन्तर्गत समस्त शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय वर्ष 2020-21 की द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशक, वित्त आयोग प्रभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के शासनादेश सं-F-15(3) FC-xv/FCD/ 2020-25, दिनांक: 10.03.2021 के कम में 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समस्त शहरी स्थानीय निकायों (छावनी बोर्ड सहित) को संलग्न विवरणानुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में निर्दिष्ट अनुदान (Tied Grant) की द्वितीय किश्त हेतु कुल ₹69,50,00,000.00 (रुउनहत्तर करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि संबंधित निकायों को आवंटित करने के लिए आपके निर्वर्तन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2-

उपर्युक्त धनराशि निम्न प्रतिबन्धों/ शर्तों के अधीन संबंधित निकायों को आवंटित की जा रही है।

- (1) वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 381/06/ (वि.आ.निदे.) / xxvii(1)/ 2020, दिनांक: 26.05.2020 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत शहरी स्थानीय निकायों एवं छावनी बोर्डों के बीच अनुदान की धनराशि का पारस्परिक वितरण किया गया है।
- (2) निर्दिष्ट अनुदान की धनराशि सशर्त अवमुक्त की जा रही है। अतः समस्त शहरी स्थानीय निकायों द्वारा धनराशि के उपयोग के संबंध में आयोग की संस्तुतियों एवं भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन करना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (3) निर्दिष्ट अनुदान के अन्तर्गत निकायों को आवंटित अनुदान की धनराशि 50 प्रतिशत (क) पेयजल (वर्षा जल संचयन एवं पुनर्चकण सहित) तथा 50 प्रतिशत (ख) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिये निर्धारित किया जायेगा। यदि किसी एक श्रेणी की आवश्यकताओं को पूरा कर लिया गया हो, तो इन निधियों का उपयोग अन्य श्रेणी के लिये किया जा सकता है।
- (4) निदेशक, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड के निर्वर्तन पर रखी गई धनराशि कोषागार से आहरित करने के उपरान्त संलग्न विवरणानुसार समस्त शहरी स्थानीय निकायों (नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों) एवं छावनी बोर्डों को तत्काल हस्तान्तरित किया जायेगा।
- (5) अवमुक्त की जा रही धनराशि भारत सरकार से प्राप्त होने की तिथि दिनांक: 10.03.2021 से 10 कार्य दिवसों के भीतर संबंधित निकायों को हस्तान्तरित करना सुनिश्चित किया जायेगा। विलम्ब की स्थिति में ब्याज सहित धनराशि का भुगतान संबंधित निकायों को सुनिश्चित किया जायेगा, जिसके लिये निदेशक, शहरी विकास विभाग पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। किसी भी स्तर पर विलम्ब के लिए संबंधित अधिकारी/ विभाग उत्तरदायी होगा।
- (6) स्थानीय निकायों की जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के आंकड़ों की प्रमाणिकता के संबंध में शहरी विकास विभाग उत्तरदायी होगा।
- (7) अवमुक्त धनराशि के संबंध में शहरी विकास विभाग द्वारा निर्धारित एनेक्सर-III पर (समस्त शहरी स्थानीय निकाय एवं छावनी बोर्ड सहित) वांछित सूचना विभागीय सचिव से हस्ताक्षर कराकर तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (8) अवमुक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र सम्बन्धित निकाय के मुख्य नगर अधिकारी/ अधिशासी अधिकारी तथा छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी के हस्ताक्षर से दिनांक: 31.05.2021 तक प्राप्त हो जाने चाहिए। निकायों द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत धनराशि का पूर्ण सदुपयोग करना सुनिश्चित किया जायेगा। यदि किन्हीं कारणों से निर्धारित अवधि तक धनराशि का उपयोग नहीं हो पाता है, तो उपयोगिता अवधि के संबंध में निकायों द्वारा पूर्ण औचित्य के

साथ स्पष्ट प्रस्ताव निदेशक, शहरी विकास विभाग के माध्यम से सीधे वित्त विभाग को प्रेषित किये जायेंगे।

- (9) अवमुक्त धनराशि का समय से उपयोग करने हेतु शहरी विकास विभाग उत्तरदायी होगा। शहरी विकास विभाग द्वारा समस्त शहरी स्थानीय निकायों के उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का संकलन कर, संकलित उपयोगिता प्रमाण-पत्र सचिव, शहरी विकास से हस्ताक्षर कराकर महालेखाकार, उत्तराखण्ड एवं वित्त विभाग (वि.आ.निदे.) को उपलब्ध कराया जायेगा।
- (10) शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागीय अधिकारी/वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दी जायेगी।
- (11) चतुर्थ राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई संस्तुति के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों के तीनों स्तरों के निर्धारित पारस्परिक अंशों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है क्योंकि इससे गम्भीर विकृतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। उक्तानुसार ही उच्चीकृत निकायों (पूर्व पूल में) को धनराशि आवंटित की जा रही है।
- (12) 15वें वित्त आयोग की धनराशि से सम्पन्न कराये जाने वाले कार्यों के संबंध में निर्माण स्थल पर साईन बोर्ड लगाया जायेगा, जिस पर **“15वें वित्त आयोग की संस्तुति के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य”**, निर्माण कार्य का वर्ष एवं योजना की लागत इंगित की जायेगी।
- (13) इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 की अनुदान संख्या: 07 के निम्नलिखित लेखाशीर्षकों के नामें डाला जायेगा:-

क्र. सं.	मानक मद का विवरण	निकाय का नाम	निर्दिष्ट अनुदान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 की द्वितीय कित हेतु अवमुक्त धनराशि (ह0रू0 में)	अलोटमेन्ट आई.डी.नं.
1-	लेखाशीर्षक: 3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-200-अन्य विविध क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन-01-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना-01-नगर निगमों हेतु केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त मूल अनुदान-69-समनुदेशन	नगर निगम	322913	
2-	लेखाशीर्षक: 3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-200-अन्य विविध क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन-01-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना-03-नगर पालिकाओं हेतु केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त मूल अनुदान-69-समनुदेशन	नगर पालिका परिषद	267412	
3-	लेखाशीर्षक: 3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-200-अन्य विविध क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन-01-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना-05-नगर पंचायतों हेतु केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त मूल अनुदान-69-समनुदेशन	नगर पंचायत	80072	
4-	लेखाशीर्षक: 3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-200-अन्य विविध क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन-01-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना-13-केन्द्रीय वित्त आयोग से केन्टोमेंट बोर्ड हेतु प्राप्त अनुदान-69-समनुदेशन	छावनी बोर्ड	24603	
योग			695000	

(14) अलोटमेन्ट आई.डी. संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या: 03 (वि.आ.निदे.) / xxviii(1) / 2021, तददिनांकित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
2. सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. निदेशक, वित्त आयोग प्रभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
5. निदेशक, वित्त आयोग निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएँ, 23-लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
9. वरिष्ठ वित्त अधिकारी, साईबज ट्रेजरी, 23-लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
10. संबंधित मुख्य / वरिष्ठ / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. संबंधित मुख्य नगर अधिकारी / अधिशासी अधिकारी (नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत) उत्तराखण्ड।
12. संबंधित मुख्य अधिशासी अधिकारी, छावनी बोर्ड, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

(भूपेश चन्द्र तिवारी)
अपर सचिव।

15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के कम में निर्दिष्ट अनुदान (Tied Grant) के अन्तर्गत समस्त शहरी स्थानीय निकायों (छावनी बोर्डों सम्मिलित) को वित्तीय वर्ष 2020-21 की द्वितीय किश्त हेतु अवमुक्त धनराशि का विवरण

क.सं.	जिला	क्र. सं.	स्थानीय निकाय का नाम	(धनराशि हजार ₹ में) निर्दिष्ट अनुदान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 की द्वितीय किश्त हेतु अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5
1-नगर निगम:-				
1-	देहरादून	1	देहरादून	115875
		2	ऋषिकेश (उच्चिकृत)	23666
2-	हरिद्वार	3	हरिद्वार	30483
		4	रुड़की	26113
3-	नैनीताल	5	हल्द्वानी	36899
4-	ऊधमसिंह नगर	6	काशीपुर	29183
		7	रुद्रपुर	29606
5-	पौड़ी गढ़वाल	8	कोटद्वार (उच्चिकृत)	31088
योग (1) नगर निगम				322913
2-नगर पालिका परिषद				
1-	अल्मोड़ा	1	अल्मोड़ा	8553
		2	रानीखेत	2157
2-	बागेश्वर	3	बागेश्वर	6206
3-	चमोली	4	गोपेश्वर	5634
		5	जोशीमठ	8386
		6	गोचर	2506
		7	कर्णप्रयाग	2738
4-	चम्पावत	8	चम्पावत	3519
		9	टनकपुर	4397
5-	देहरादून	10	मसूरी	12547
		11	विकासनगर	5649
		12	डोईवाला (उच्चिकृत)	14543
		13	हरबर्टपुर (उच्चिकृत)	2559
6-	हरिद्वार	14	मंगलौर	11185
		15	लक्सर (उच्चिकृत)	5835
		16	शिवालिक नगर	8152
7-	नैनीताल	17	नैनीताल	9280
		18	रामनगर	10937
		19	भवाली	2471
8-	पौड़ी गढ़वाल	20	दुगड़डा	2157
		21	पौड़ी	9289
		22	श्रीनगर	7843
9-	पिथौरागढ़	23	पिथौरागढ़	13458
		24	धारचूला	2311
		25	डीडीहाट (उच्चिकृत)	2088
10-	रुद्रप्रयाग	26	रुद्रप्रयाग	2981
11-	टिहरी	27	नरेन्द्रनगर	3018
		28	मुनिकीरेती-ढालवाला	7683

क.सं.	जिला	क्र. सं.	स्थानीय निकाय का नाम	निर्दिष्ट अनुदान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 की द्वितीय किस्त हेतु अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5
		29	टिहरी	8502
		30	चम्बा (उच्चिकृत)	2555
		31	देवप्रयाग (उच्चिकृत)	1635
12-	ऊधम सिंह नगर	32	बाजपुर	7307
		33	गदरपुर	5202
		34	जसपुर	12024
		35	खटीमा	12794
		36	किच्छा	17488
		37	सितारगंज	6443
		38	महुआखेड़ा गंज (उच्चिकृत)	3390
13-	उत्तरकाशी	39	उत्तरकाशी	6752
		40	बड़कोट	2812
		41	चिन्चालीसौंड	2426
योग (2) नगर पालिका परिषदें:-				267412
3-नगर पंचायतें:-				
1-	अल्मोड़ा	1	द्वाराहाट	1314
		2	भिक्यासैण (नव गठित)	1231
		3	चौखुटिया (नव गठित)	1467
2-	बागेश्वर	4	कपकोट (नव गठित)	1635
3-	चमोली	5	नन्दप्रयाग	1388
		6	गैरसैण (नव गठित)	2515
		7	पोखरी (नव गठित)	1929
		8	थराली (नव गठित)	1475
		9	पीपल कोटी (नव गठित)	1701
4-	चम्पावत	10	लोहाघाट	2077
		11	बनबसा (नव गठित)	1443
5-	हरिद्वार	12	झबरेड़ा	2631
		13	लण्डौरा	4014
		14	भगवानपुर (नव गठित)	3827
		15	पीरान कलियर (नव गठित)	4329
6-	पौड़ी गढ़वाल	16	जौक (स्वर्गाश्रम) (नव गठित)	1796
		17	सतपुली (नव गठित)	1257
7-	पिथौरागढ़	18	गंगोलीहाट (नव गठित)	2106
		19	बेरीनाग (नव गठित)	2255
8-	रूद्रप्रयाग	20	अगस्तमुनी (नव गठित)	1620
		21	ऊखीमठ (नव गठित)	1475
		22	तिलवाड़ा (नव गठित)	1295
9-	टिहरी गढ़वाल	23	कीर्तिनगर	1314
		24	घनसाली (नव गठित)	1803
		25	लम्बगौव (नव गठित)	1230
		26	चमियाला (नव गठित)	1321
		27	गजा (नव गठित)	1230
10-	नैनीताल	28	कालाढूंगी	1794
		29	लालकुआ	1993
		30	भीमताल	4847
11-	ऊधमसिंह नगर	31	दिनेशपुर	2994
		32	केलाखेड़ा	2746

क.सं.	जिला	क्र. सं.	स्थानीय निकाय का नाम	निर्दिष्ट अनुदान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 की द्वितीय किश्त हेतु अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5
		33	महुआडाबरा हरिपुरा	1903
		34	शक्तिगढ़	1893
		35	सुल्तानपुर	2471
		36	नानकमत्ता (नव गठित)	2322
		37	गुलरभोज (नव गठित)	1661
12-	उत्तरकाशी	38	पुरोला (नव गठित)	2148
		39	नौगाँव (नव गठित)	1622
योग (3) नगर पंचायत:-				80072
4-छावनी बोर्ड :-				
1-	अल्मोड़ा	1	अल्मोड़ा	434
		2	रानीखेत	3673
2-	देहरादून	3	चकराता	995
		4	क्लेमेन्ट टाउन	4391
		5	देहरादून	10253
		6	लेन्डोर	689
3-	पौड़ी	7	लैसडाउन	1102
4-	नैनीताल	8	नैनीताल	274
5-	हरिद्वार	9	रूड़की	2792
योग (4) छावनी बोर्ड				24603
महायोग (1+2+3+4)				695000

(रुँउनहत्तर करोड़ पचास लाख मात्र)

(भूपेश चन्द्र तिवारी)
अपर सचिव।



बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2020 - 2021)
HOD-Secretary Finance (HOD)(2211)
 Treasury-Cyber(1200)
 DDO-Director Urban Development Dehradun(2877)

आवंटन पत्र संख्या -

आवंटन आई डी-H21030070199

अनुदान संख्या-007

आवंटन पत्र दिनांक-17-MAR-2021

लेखा शीर्षक

3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती

00--

राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा

समनुदेशन

200-????? ????? ???????????

01-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

??? ?????????

01-नगर निगमों हेतु केन्द्रीय वित्त

Voted

आयोग से प्राप्त मूल अनुदान

(3604011910103 से स्थानांतरित)

3	6	0	4	0	0	2	0	0	0	1	0	1
मानक मद का नाम				पूर्व में जारी		वर्तमान में जारी		अब तक का व्यय		योग		
69-समनुदेशन				968739000		322913000		0		1291652000		
योग				968739000		322913000		0		1291652000		

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.32,29,13,000 (Rupees Thirty Two Crores Twenty Nine Lacs Thirteen Thousand Only)

Batch ID : DIS:2211:2211:2103:0009

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

(भूपेश चन्द्र तिया
 अपर सचिव,
 वित्त एवं वित्त,
 उत्तराखण्ड शासन)



बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2020 - 2021)
HOD-Secretary Finance (HOD)(2211)
 Treasury-Cyber(1200)
 DDO-Director Urban Development Dehradun(2877)

आवंटन पत्र संख्या -
 अनुदान संख्या-007

आवंटन आई डी-H21030070200
 आवंटन पत्र दिनांक-17-MAR-2021

लेखा शीर्षक

3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती
 राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा
 समनुदेशन
 200-????? ????? ??????????
 ??? ?????????
 03-नगर पालिकाओं हेतु केन्द्रीय वित्त
 आयोग से प्राप्त मूल अनुदान
 (3604011920103 से स्थानांतरित)

00--

01-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

Voted

3	6	0	4	0	0	2	0	0	0	1	0	3
मानक मद का नाम						पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग			
69-समनुदेशन						802236000	267412000	0	1069648000			
योग						802236000	267412000	0	1069648000			

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.26,74,12,000 (Rupees Twenty Six Crores Seventy Four Lacs Twelve Thousand Only)

Batch ID : DIS:2211:2211:2103:0010

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

(भूपेश चन्द्र तिवारी)
 अपर सचिव,
 जमा एवं वित्त,
 उत्तराखण्ड शासन



बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2020 - 2021)
HOD-Secretary Finance (HOD)(2211)
 Treasury-Cyber(1200)
 DDO-Director Urban Development Dehradun(2877)

आवंटन पत्र संख्या -
 अनुदान संख्या-007

आवंटन आई डी-H21030070201
 आवंटन पत्र दिनांक-17-MAR-2021

लेखा शीर्षक 3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती
 राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा
 समनुदेशन
 200-????? ???? ???? ??????
 ??? ??????
 05-नगर पंचायतों हेतु केन्द्रीय वित्त
 आयोग से प्राप्त मूल अनुदान
 (3604011930103 से स्थानान्तरित)

00--

01-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

Voted

3	6	0	4	0	0	2	0	0	0	1	0	5
मानक मद का नाम				पूर्व में जारी		वर्तमान में जारी		अब तक का व्यय		योग		
69-समनुदेशन				240216000		80072000		0		320288000		
योग				240216000		80072000		0		320288000		

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.8,00,72,000 (Rupees Eight Crores Seventy Two Thousand Only)

Batch ID : DIS:2211:2211:2103:0011

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

(भूपेश चन्द्र तिवारी)
 अपर सचिव,
 एन एन एवं वित्त,
 उत्तराखण्ड शासन



बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2020 - 2021)
HOD-Secretary Finance (HOD)(2211)
 Treasury-Cyber(1200)
 DDO-Director Urban Development Dehradun(2877)

आवंटन पत्र संख्या -

आवंटन आई डी-H21030070202

अनुदान संख्या-007

आवंटन पत्र दिनांक-17-MAR-2021

लेखा शीर्षक

3604-स्थानीय निकायों तथा
 पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति
 तथा समनुदेशन
 200-????? ??????????????
 ??? ??????????
 13-केन्द्रीय वित्त आयोग से कैंटोमेंट
 बोर्ड हेतु प्राप्त अनुदान

00--

01-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

Voted

3	6	0	4	0	0	2	0	0	0	1	1	3
मानक मद का नाम				पूर्व में जारी		वर्तमान में जारी		अब तक का व्यय		योग		
69-समनुदेशन				73809000		24603000		0		98412000		
योग				73809000		24603000		0		98412000		

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.2,46,03,000 (Rupees Two Crores Forty Six Lacs Three Thousand Only)

Batch ID : DIS:2211:2211:2103:0012

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

(भूपेश चन्द्र तिवारी)
 अपर सचिव,
 एवं वित्त,
 उत्तराखण्ड शासन